

FORM - III**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी [राजस्व], श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

लखविन्द्र सिंह बनाम राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर

अन्तर्गत धारा 88 आरटीए प्रकरण संख्या 332 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/474

तामिल हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

14.10.2025

ग्रामीण सेवा शिविर 2025 ग्राम पंचायत 50 एफ में प्रार्थी लखविन्द्र सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्राक एसपीएल-1 दिनांक 06.10.2025 से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 88 में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 3 एफ ए, पटवार हल्का 50 एफ रूपनगर, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 149/96 की प्रति, राजस्व ग्राम 3 एफ ए, पटवार हल्का 50 एफ रूपनगर, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 151/129 की प्रति, के अवलोकन से स्पष्ट है, कि प्रार्थी के द्वारा राजस्व ग्राम 3 एफ ए, पटवार हल्का 50 एफ रूपनगर, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 149/96 व खाता संख्या 151/129 को एकल खाता में दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में प्रार्थी के नाम दर्ज भूमि 2 खातों में दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के मुताबिक राजस्व ग्राम 3 एफ ए के खाता संख्या 149 में 1.177 हैक्टेयर भूमि, व खाता संख्या 151 में 0.088 हैक्टेयर भूमि एकल खातेदार की हैसियत से दर्ज है। प्रार्थी को अलग-अलग जमाबन्दी निकालने में समस्या आ रही है। प्रार्थी दोनों एकल खातों को एक ही खाते में रकबा दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 एफ ए, पटवार हल्का 50 एफ रूपनगर, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 149/96 व खाता संख्या 151/129 में लखविन्द्र सिंह पुत्र गुरबचन सिंह के नाम दर्ज भूमि को एकल खाता में दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेंगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमिल जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)



अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

लखविन्द्र सिंह बनाम राजस्थान सरकार आदि

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए मुकदमा नम्बर 332/2025

निर्णय दिनांक :- 14.10.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी स्वयं पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:- प्रार्थना पत्र प्रार्थी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 एफ ए, पटवार हल्का 50 एफ रूपनगर, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 149/96 व खाता संख्या 151/129 में लखविन्द्र सिंह पुत्र गुरबचन सिंह के नाम दर्ज भूमि को एकल खाता में दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेंगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 14.10.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
(श्रीगंगानगर)

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	02	00	योग	00	00

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
(श्रीगंगानगर)

क्रमांक: रीडर/ 2025/772

दिनांक: 14.10.2025

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।



{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
(श्रीगंगानगर)